रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22082024-256540
CG-DL-E-22082024-256540

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3228] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 21, 2024/ श्रावण 30, 1946
No. 3228] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 21, 2024/ SHRAVANA 30, 1946

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2024

का.आ. 3544(अ).—दिनांक 4 अगस्त, 2017 की का. आ. सं. 2492 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित, भारत सरकार (कारोबार का आबंटन) तीन सौ पैंतीसवां संशोधन नियम, 2017 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के माध्यम से "दिनांक 7 मार्च, 2019 की अधिसूचना सं. फा. सं. पी-13032(17)/40/2017-सीसी के माध्यम से अधिसूचित "प्रधान मंत्री जी-वन(जैव ईंधन- वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना को एतद्द्वारा संशोधित करती है -

1. इस संशोधन को प्रधान मंत्री जी-वन योजना संशोधन, 2024 कहा जाएगा।

2. यह संशोधन मंत्रिमंडल के अनुमोदन की तारीख अर्थात 09.08.2024 से प्रभावी होगा।

3. प्रधान मंत्री जी-वन योजना में, दिनांक 07.03.2019 की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन एतद्द्वारा किए जाते हैं:- क. '2जी एथेनॉल' शब्द के लिए "उन्नत जैव ईंधन" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

ख. खंड 3.1-योजना की पृष्ठभूमि

i उद्देश्य शीर्षक के अंतर्गत खंड 3.1.1 के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा नामत:-

"वर्तमान योजना में गैर-खाद्य बायोमास फीडस्टॉक्स और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक्स पर आधारित लगभग 12 वाणिज्यिक पैमाने की उन्नत जैव ईंधन परियोजनाएं और लगभग 10 प्रदर्शन पैमाने की उन्नत जैव ईंधन परियोजनाएं स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।"

ii 3.1.1 (क) उपखंड के लिए, निम्नलिखित उपखंडों को प्रतिस्थापित किया जाएगा नामत:-

''3.1.1(क) उन्नत जैवईंधनों के उत्पादन के लिए परियोजनाओं की वाणिज्यिक व्यवहार्यता में वृद्धि''

iii 3.1.5 उपखंड के लिए निम्नलिखित उपखंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा नामत:,-

''3.1.5 लगभग बारह (12) वाणिज्यिक पैमाने वाली उन्नत जैव ईंधन परियोजनाओं तथा लगभग 10 प्रदर्शन पैमाने वाली परियोजनाओं को स्थापित करने का लक्ष्य सरकार से 1969.50 करोड़ रु. के वित्तीय योगदान से प्राप्त किया जाएगा।''

ग. खंड 3.3- योजना में वित्तीय सहायता की व्यवस्था

i 3.3 (ii) उपखंड के लिए निम्नलिखित उपखंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा नामत:,-

''3.3 (ii) व्यावसायिक परियोजनाओं के लिए, परियोजनाओं को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने के उद्देश्य से बायोरिफाइनरी की वार्षिक निर्धारित क्षमता के अनुरूप प्रति 10 लाख लीटर के लिए परियोजना की लागत का अधिकतम 20% या 5 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, की दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रति परियोजना अधिकतम वित्तीय परिव्यय 150 करोड़ रुपए तक सीमित है।''

ii 3.3 (vi) उपखंड के लिए निम्नलिखित उपखंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा नामत:,-

''3.3 (vi) प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए, वित्तीय सहायता के भुगतान के लिए माइलस्टोन एसएससी द्वारा तय किए जाएंगे।''

iii 3.3 (ix) उपखंड के लिए निम्नलिखित उपखंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा नामत: -

''3.3 (ix) इस योजना को वर्ष 2018-19 से वर्ष 2028-29 तक लागू किया जाएगा।''

घ. खंड 4.6- अन्य सामान्य स्थितियां

i 4.6(i) उपखंड के लिए निम्नलिखित उपखंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा नामत:,-

''खंड 4.6 (i) में 'अनेक प्रौद्योगिकियों और अनेक फीडस्टॉक को बढ़ावा देने के लिए, एस.ए.सी. उन परियोजनाओं के प्रस्तावों को प्राथमिकता दे सकता है जो परियोजनाएं नई प्रौद्योगिकियों के साथ आती हैं और क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देती हैं।''

ii 4.6 (viii) उपखंड के लिए निम्नलिखित उपखंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा नामत:-

''4.6 (viii) 'बोल्ट ऑन' संयंत्र और ''ब्राउन फील्ड परियोजनाएं'' योजना के तहत पात्र हैं।''

iii नए उपखण्ड 4.6 (xi) को अंत: स्थापित किया जाएगा:

'' 4.6 (xi) परियोजना प्रस्तावकों और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के बीच संविदागत व्यवस्था में आमतौर पर कार्य-निष्पादन गारंटी, वारंटी आदि के संबंध में प्रौद्योगिकी के विशिष्ट कार्यनिष्पादन को सुनिश्चित करने का प्रावधान है।
एसएससी आगे परियोजना प्रस्तावकों द्वारा विचार करने के लिए, जोखिम क्षपायों, साझाकरण के लिए, सामान्य शर्तें कोई हों, का सुझाव देगा।''

iv नए उप खण्ड 4.6(xii) को अंत: स्थापित किया जाएगा

''4.6(xii) तेजी से हो रहे आधुनिकीकरण को ध्यान में रखते हुए और जैवईंधन के क्षेत्र में नवीनतम बदलावों और साथ ही मौजूदा बाजार दशाओं के साथ सामंजस्य बनाए रखने के लिए, पीएम जी-वन योजना के खंडों में से किसी भी खण्ड को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के अनुमोदन से संशोधित किया जा सकता है।''

फा. सं. पी-13032(17)/40/2017-सीसी(भाग-I) (ई-38219/पी-25334)

रोजहत माथुर, संयुक्त सजचव

रटप्पणी: प्रधान मंत्री जैव ईंधन-वातावरण अनुकूल फसल अवशेष जनवारण (जी-वन) योजना दिनांक 07 माच, 2019 और 08 माच, 2019 की अजधसूचना सं. पी-13032(17)/40/2017 के माध्यम से भारत के असाधारण राजपत्र के भाग ii, खंड 3, उपखड (ii) में प्रकजशत हुई थी।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2024

S.O. 3544(E).—In exercise of the powers conferred under Government of India (Allocation of Business) Three Hundred and Thirty Fifth Amendment Rules, 2017 published in the Gazette of India vide S.O. No.2492 (E) dated the 4th August, 2017, the Central Government, through Ministry of Petroleum & Natural Gas, hereby amends "Pradhan Mantri JI-VAN (Jaiv Indhan- Vatavaran Anukool fasal awashesh Nivaran) Yojana notified vide notification No F. No. No. P-13032(17)/40/2017-CC dated the 7th March, 2019:-

1. This amendment may be called the PRADHAN MANTRI JI-VAN YOJANA Amendment, 2024.

2. This amendment shall be effective from the date of approval of the Cabinet i.e. 09.08.2024.

3. In the Pradhan Mantri JI-VAN Yojana, the following amendments in Notification dated 07.03.2019 are hereby made:

a. For the words "2G ethanol", the words "Advanced Biofuels" shall be substituted.

b. Clause 3.1 – Scheme Background

i. for clause 3.1.1 under head Objectives the following shall be substituted namely,-

"3.1.1 The current scheme envisages setting up of about 12 commercial scale Advanced Biofuel Projects and about 10 demonstration scale Advanced Biofuel Projects based on non-food biomass feedstocks and other renewable feedstocks."

ii. for sub-clause 3.1.1(a) the following sub-clause shall be substituted namely,-

"3.1.1 (a) Enhance commercial viability of projects for Advanced biofuels production"

iii. for sub-clause 3.1.5 the following sub-clause shall be substituted namely,-

"3.1.5 The target of setting up about twelve (12) Commercial scale Advanced Biofuel Projects and about 10 demonstration scale projects will be achieved with a financial contribution of ₹ 1969.50 crore from the Government."

c. Clause 3.3 – Mechanism of Financial support in the Scheme

i for sub-clause 3.3 (ii) the following sub-clause shall be substituted namely,-

"3.3 (ii) For Commercial projects, Financial Assistance subject to a maximum of 20% of the project cost OR Rs. 5 crore for every 10 lakh litres summed to Biorefinery's annual name plate capacity, whichever is lesser, will be provided to make the projects commercially viable. The maximum financial outlay per project has been capped at Rs 150 crore."

ii for sub-clause 3.3 (vi) the following sub-clause shall be substituted namely,-

"3.3 (vi) For demonstration projects, the milestones against the Financial Assistance payment will be decided by SAC."

iii for sub-clause 3.3 (ix) the following sub-clause shall be substituted namely,-

"3.3 (ix) The scheme will be implemented from 2018-19 to 2028-29."

d. Clause 4.6 – Other general conditions

i for sub-clause 4.6 (i) the following sub-clause shall be substituted namely,-

"Clause 4.6 (i) In order to promote multiple technologies and multiple feedstocks, SAC may give preference to project proposals which come with new technologies and promotes innovation in the sector."

ii for sub-clause 4.6 (viii) the following sub-clause shall be substituted namely,-

"4.6(viii) "Bolt on" plants & "Brownfield projects" are eligible under the scheme."

iii New sub clause 4.6(xi) shall be inserted

"4.6 (xi) Contractual arrangements between project proponents and technology providers usually have provisions to ensure specific performance of technology in question, such as performance guarantee, warrantee etc. SAC will suggest further generic safeguards, if any, for risk sharing, for the consideration of project proponents."

iv New sub clause 4.6(xii) shall be inserted

"4.6 (xii) In view of the rapid advancement, and to keep pace with the latest developments in the field of biofuels as well as prevailing market conditions, any of the Clauses of the PM JI-VAN Yojana may be amended with the approval of the Minister, Petroleum and Natural Gas."

F. No. P-13032(17)/40/2017-CC (Part-I) (E-38219/ P-25334)

ROHIT MATHUR, Jt. Secy.

Note: The Pradhan Mantri Jaiv Indhan-Vatavaran Anukool fasal awashesh Nivaran (JI-VAN) Yojana was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide Notification No. P-13032(17)/40/2017-CC dated 7th March, 2019 on 8th March, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA